बोर्ड, परिषदों, समितियों एवम् अन्य निकायों का विवरण

महानिदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड

मैनुअल सँख्या - ०८

सम्पर्क : महानिदेशक, चिकित्सा,
स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड

ई-मेल : dghealth.uttarakhand@gmail.com

बोर्ड, परिषदों, समितियों एवम् अन्य निकायों का विवरण

1.	लोक प्राधिकरण से संबद्ध संस्था का नाम व पता	**'उत्तरांचल हैल्थ सिस्टम डैवलपमैन्ट परियोजना'** 107, चन्दरनगर, स्वास्थ्य परिसर, देहरादून।
2.	संबद्ध संस्था का प्रकार (बोर्ड,परिषद, समिति,निकाय या अन्य)	यह उत्तरांचल शासन द्वारा चलायी जा रही तथा विश्व बैंक द्वारा सहायतित एक परियोजना है।
3.	संबद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष, उद्देश्य / मुख्य कृत्य)	उत्तरांचल राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली में, नीतिगत सुधार, मानव संसाधन विकास, उपलब्ध साधनों का सुदृढीकरण एंव विस्तार, निजीक्षेत्रा की सहभागिता तथा अभिनवीकरण के द्वारा, प्रदेश के चिकित्सा तंत्रा को दिशा प्रदान करने के लिए विश्व बैंक सहायतित **'उत्तरांचल हैल्थ सिस्टम डैवलपमैन्ट परियोजना'** का सूत्रपात **जुलाई, 2001** में किया गया। परियोजना, राज्य की चिकित्सा व्यवस्था को सहज, सुलभ, एकीकृत, उत्तरदायी एंव गुणात्मक रुप में उन्नत करने हेतु समर्पित है । **<u>उद्देश्यः</u>** उत्तरांचल हैल्थ सिस्टम डैवलपमैन्ट परियोजना की परिकल्पना के फलस्वरूप राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में संरचनात्मक व गुणात्मक परिवर्तन कर उसे संवेदनशील, बहुआयामी, सर्व–सुलभ एवं एकीकृत सेवा के रुप में विकसित करने की नीतिगत पहल की गयी है। विश्व बैंक पोषित इस परियोजना के आधार स्तम्भ निम्नलिखित हैं : • नीतिगत सुधार • मानव संसाधन विकास • उपलब्ध साधनों का सुदृढीकरण, नवीनीकरण एवं विस्तार • निजी क्षेत्रा की सहभागिता • अभिनवीकरण योजनायें

4.	संबद्ध संस्था की भूमिका (परामर्शदात्री / प्रबन्ध कारिणी / कार्यकारिणी / अन्य	**रणनीतिः (भूमिका):** सेवा उपागम के द्वारा निश्चित समयावधि में परियोजना के उद्देष्यों की प्राप्ति के लिए **परियोजना प्रबन्धन** रणनीति का प्रमुख आधार है । राज्य मुख्यालय पर परियोजना प्रबन्धन इकाई (पी0एम0यू0) का गठन तथा प्रदेष के समस्त जनपदों में परियोजना क्रियान्वयन प्रकोष्ठ की व्यवस्था प्रारम्भ की गयी है । परियोजना के प्रारम्भिक चरण में वर्ष 2003 तक विष्व बैंक मानकों के अनुरूप समयबद्ध एवं व्यवस्थित प्रयासों के द्वारा प्रदेष के 07 जिला पुरूष एवं 7 महिला चिकित्सालयों, 06 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों,01 बेस चिकित्सालय, 01 सयुंक्त चिकित्सालय तथा 13 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का जीर्णोद्वार एवं सुदृढ़ीकरण कर उन्हें **"प्रतिदर्ष इकाई"** के रूप में विकसित किया जायेगा । प्रायौगिक तौर पर श्रीनगर(गढ़वाल) में 01 **ट्रामा केयर इकाई** तथा 02 **इलेक्ट्रो मेडिकल वर्कषाप** की स्थापना, कमषः हल्द्वानी तथा देहरादून में किया जाना प्रस्तावित है जो परियोजना के अभिनवीकरण पहलू का प्रमुख अंग है। इसके साथ ही क्षमता विकास की योजनायें पूरे प्रदेष में समान रुप से लागू की जायेंगी । संबद्ध संस्थाएंः यह चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिये परामर्षदात्री संस्था है तथा राज्य के द्वितीय चिकित्सा सुविधा एवं सेवाओं के सुदृढ़िकरण हेतु कार्य कर रही है। संस्था द्वारा निम्न लिखित कार्य किये जा रहे है। **परियोजना कार्यकलाप** **नीति नियामकः** स्ट्रेटिजिक मैनेजमेन्ट बोर्ड तथा स्ट्रेटेजिक सपोर्ट ग्रुप का गठन कर नीतिगत निर्णयों व सुधारों द्वारा स्वास्थ्य प्रबन्धन तंत्र की क्षमताओं में वृद्धि । • चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाओं चिकित्सकों एवं चिकित्साकर्मियों की तकनीकी प्रबन्धकीय क्षमताओं का विकास कर व्यवहारग परिर्वतन के द्वारा गुणात्मक सेवायें सुलभ कराने प्रति संवेदनषील, जबावदेह स्वास्थ्य प्रणाली का विका । • राज्य में कम्प्यूटरीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली का विकास । • जनपदों में उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग

हेतु नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो के सृजन पर तीन वर्ष के लिये पूर्ण प्रतिबन्ध ।

- **नान्–क्लीनिकल सेवाओं को निजी क्षेत्र से अनुबन्ध पर तथा सरकारी क्षेत्रों में उपलब्ध उपकरणों की वेट लीजिंग प्रणाली विकसित कर उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग ।**

सुदृढ़ीकरण एवं दक्षता विकास

- प्रदेश के चयनित, 07जिला पुरुष एवं 7 महिला चिकित्सालयों, 06 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 01 बेस चिकित्सालय, 01 सयुंक्त चिकित्सालय तथा 13 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो का निर्धारित मानक के अनुसार विस्तार तथा उनमें आवष्यक उपकरणों और अन्य आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता ।

- उपरोक्त इकाईयों में चिकित्सा/चिकित्साकर्मियों एवं दवाईयों की उपलब्धता निर्धारित मानकों के अनुरुप कराया जाना ।

- भवनों/वाहनों /उपकरणों के निरन्तर एवं समुचित उपयोग हेतु रख–रखाव की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाना ।

- रोग निदान एवं उच्च स्तरीय चिकित्सा हेतु प्रत्येक स्तर पर संदर्भन प्रणाली का विकास ।

- स्वास्थ्य चिकित्सा प्रबन्धन/रोग सर्वेक्षण के लिये कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली का विकास ।

- दवा एवं खाद्य पदार्थो के अपमिश्रण की रोकथाम एवं गुणवत्तायुक्त आपूर्ति सुनिष्चित कराये जाने हेतु पारदर्षी एवं कारगर व्यवस्था विकसित करना ।

- रोग प्रसार सर्तकता व नियंत्रण हेतु जिला स्तरीय रोग सर्तकता इकाईयों का गठन एवं प्रयोगषालाओं का सुदृढ़ीकरण तथा स्थापना ।

- दुर्गम एवं असेवित क्षेत्रों में चिकित्सा–स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच बढ़ाने के लिए सामुदायिक सहभागिता के द्वारा निजी क्षेत्र का सहयोग ।

- मानव संसाधन विकास एवं गरीबी उन्मूलन की रणनीति के अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवाओं को सम्मिलित करते हुए प्रदेश शासन के वार्षिक स्वास्थ्य बजट में वृद्धि कराना।

- **"यूजर्स चार्जेज"** : प्रणाली में निर्धन व गरीब रोगियों को पृथक करते हुए स्वास्थ्य सेवा/सुविधाओं की दरों में वृद्धि तथा अर्जित आय का 50 प्रतिशत सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाई के उपयोग हेतु रखा जाना । तीन वर्षो के उपरान्त शत् – प्रतिशत धनराशि को जनपद स्तर पर रोके जाने की व्यवस्था ।

- राज्य के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग पर श्रीनगर(गढ़वाल) में दुर्घटनाओं से ग्रसित व्यक्तियों को त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देष्य से प्रायोगिकतौर पर ट्रामा केयर इकाई की स्थापना ।

- **संक्रामक व घातक रोगों के प्रसार को नियंत्रित करने हेतु अस्पतालों के कूड़े–कचरें एवं दूषित निडिल–सिरिंज आदि का तकनीकी प्रबन्धन द्वारा निष्पादन व विघटन किया जाना ।**

- वृहद प्रचार–प्रसार कार्यक्रमों द्वारा जनसामान्य को स्वास्थ्य सेवाओं एवं सुविधाओं के उपयोग की जानकारी, रोग सर्तकता रोकथाम तथा उच्च गुणवत्तायुक्त दवाईयों का उपयोग, आदि की जानकारी सुलभ कराना ।

- विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की सूचना, षिक्षा एवं संचार(आई0ई0सी) नीति का एकीकृत स्वरुप तैयार कर अमल में लाना ।

सेवा उपागम

परियोजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विकास हेतु दो क्षेत्रों में विनिवेष एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया निम्नवत् प्रारम्भ की जा रही है:

- **संसाधन विकास उपागम (हार्डवेयर)**

स्वास्थ्य सेवाओं के द्वितीयक क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु

		भवनों का सुधार, नवीनीकरण एवं विस्तार, अस्पतालों में उपलब्ध उपकरणों की मरम्मत, अनुरक्षण एवं उपार्जन, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर एम्बुलेन्स की उपलब्धता तथा जिला चिकित्सालय (महिला/पुरूष) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, स्तर पर कम्प्यूटर आदि की स्थापना, संसाधन विकास उपागम के अन्तर्गत प्रमुख कार्य निर्धारित किये गये हैं । • **क्षमता विकास उपागम(सॉफ्टवेयर)** स्वास्थ्य सेवाओं के प्रत्येक स्तर पर गुणवत्ता का उन्नयन, सूचना षिक्षा एवं संचार प्रणाली का विकास, स्वास्थ्य प्रबन्धन पद्धति का सूत्रपात, प्रबन्धन एवं चिकित्सकीय कौषल हेतु प्रषिक्षण, निजी क्षेत्र की सहभागिता, रोग सतर्कता/सर्वेक्षण प्रणाली,संदर्भन स्तरों का संचालन (रैफरल सिस्टम), खाद्य एवं औषधि गुणवत्ता नियंत्रण, कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली का विकास तथा अस्पतालों के कूड़ा–कचरा का प्रबन्धन एवं निष्पादन तकनीक, क्षमता विकास उपागम के प्रमुख क्षेत्र निर्धारित किये गये हैं ।

स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य

परियोजना प्रबंधन ईकाई का संगठनात्मक ढांचा

5.	मुख्य अधिकारी का नाम	**श्री फैनई – परियोजना निदेशक।**
6.	मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते	"उत्तरांचल हैल्थ सिस्टम डैवलपमैन्ट परियोजना' 107, चन्दरनगर, स्वास्थ्य परिसर, देहरादून। परियोजना द्वारा 09 जनपदों का चयन किया गया है जिसमें 01 जिला परियोजना अधिकारी की तैनाती की गयी है। यह अधिकारी सम्बन्धित जनपद के उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत है। इसके अतिरिक्त सिविल कार्यों की देख रेख हेतु प्रत्येक जनपद में एक अवर अभियन्ता भी तैनात किया गया है जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में कार्यरत है।
7.	बैठक की आवृत्ति	परियोजना के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिये आवश्यकतानुसार परियोजना स्टीरिंग कमेटी, पी0जी0बी0 की बैठकें आयोजित की जाती है।
8.	क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है ?	नहीं
9.	क्या बैठक का कार्यवृत्त तैयार किया जाता है ?	हां
10.	क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है ? यदि हाँ तो प्रक्रिया का विवरण	नहीं

1.	संबद्ध संस्था का नाम व पता	**उत्तरांचल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति (स्कोवा)। 107, चन्दरनगर, देहरादून।**
2.	संबद्ध संस्था का प्रकार (बोर्ड,परिषद, समिति,निकाय या अन्य)	यह एक पंजीकृत समिति है।
3.	संबद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष, उद्देश्य /मुख्य कृत्य)	स्कोवा, "स्टैडिंग कमेटी आफ वालंटरी एक्षन" उत्तरांचल "**01 जुलाई 2004**" से कार्यरत एक पंजीकृत गैरसरकारी संस्था है जो उत्तरांचल के सभी 13 जनपदों में जिला कार्यक्रम ईकाइयों के माध्यम से कार्य कर रही है। स्कोवा देश के अन्य राज्यों में भी लागू है। यह स्वास्थ्य विभाग उत्तरांचल, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा मदर एन.जी.ओ. को आपस में जोड़ती है। **उद्देश्यः** स्कोवा का मुख्य उद्देश्य, एक छतरी के नीचे स्वास्थ्य विभागा के अन्तर्गत संचालित समस्त स्वास्थ्य कार्यक्रमों के साथ समन्वय एवं एकीकरण करके कार्य करना, प्राथमिक व द्वितीयक स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करने में गुणात्मक सुधार लाना, स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति को लागू करने में सहायक होना, जनसंख्या स्थिरता को ध्यान में रखते हुए उत्तरांचल में जन्मदर कम करने हेतु सोसायटी द्वारा हर सम्भव सहायता प्रदान करना है। स्कोवा का उद्देश्य समुदाय में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए विभिन्न क्षेत्रों में अनेकों संक्रामक व सामान्य रोगों के कारण होने वाली मृत्युदर व बीमारियों की दर को कम करने में प्रयास करना भी है। सोसायटी उत्तरांचल सरकार, भारत सरकार, यूएसएड एवं अन्य संस्थाओं/विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करेगी साथ ही पब्लिक व प्राईवेट सेक्टर तथा अन्य गैर सरकारी संस्थाओं के साथ भागीदारी करेगी। यह सोसायटी तकनीकी एवं कार्यक्रम सम्बन्धी पहल में जरूरी सुधार लाकर अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करेगी। स्कोवा द्वारा प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम – द्वितीय को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जायेगा।

4.	संबद्ध संस्था की भूमिका (परामर्शदात्री) / प्रबन्ध कारिणी / कार्यकारिणी / अन्य	**भूमिकाः कार्यकारिणी युक्त संस्था** **विशेषताएं :** ▪ सार्वजनिक क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना तथा स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाकर समुदाय की पहुँच में लाने के लिये सामुदायिक और निजि / गैर–सरकारी संस्थाओं की सहभागिता द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। ▪ स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण के समस्त कार्यक्रमों में कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करना। ▪ राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में एल0एम0आई0एस0 (लॉजिस्टिक मैनेजमेन्ट इन्फोर्मेशन सिस्टम) प्रणाली विकास करना। ▪ निदेशालय में विभिन्न अनुभागों का गठन (आई0ई0सी0, एम0आई0एस0, प्रतिरक्षण तथा सार्वजनिक / निजि / एन0जी0ओ0 सहभागित अनुभाग) कर निदेशालय के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को नियोजन, कार्यक्रम क्रियान्वयन, अनुश्रवण तथा मूल्यांकन में क्षमता विकास करना। ▪ आई0ई0सी0 गतिविधियों के साथ परिवार नियोजन तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करना। ▪ उन्नत स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने तथा स्वीकार्यता हेतु अन्यों स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्थानों तथा विभागों के साथ बदलाव तथा समन्यवयन स्थापित करने को बढ़ावा देना। ▪ चिकित्सा क्षेत्र में गुणात्मक सेवाएं प्रदान करने के लिये स्वास्थ्य व्यवसाय से सम्बन्धित व्यक्तियों का बढ़ावा देना। ▪ राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति तथा राज्य स्वास्थ्य तथा जनसंख्या

		नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये शोध, रोग व्यापकता दर (चर्म/कुष्ठ रोग आदि से सम्बन्धित) का सर्वेक्षण तथा अध्ययन कार्य सम्पादित कराना। ▪ एन0जी0ओ0/निजी क्षेत्र का परिवार कल्याण तथा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु सहभागिता के लिये विकास करना। ▪ समिति, लेखा, वार्षिक अभिलेखों के रख–रखाव तथा विभिन्न वित्तीय संशाधन प्रदान करने वाली संस्थाओं को रिपोर्ट भेजने हेतु उत्तरदायी होंगी।
6.	मुख्य अधिकारी का नाम	**श्री एल0फैनई (अधिषासी निदेशक)/ अपर सचिव स्वास्थ्य**
7.	मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते	**उत्तरांचल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति (स्कोवा), स्वास्थ्य परिसर, 107, चन्दर नगर, देहरादून।** **फोन नं0 – (0135) 2622166, 2521270** प्रत्येक जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम प्रबन्धक की नियुक्ति की गयी है जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा जिला अधिकारी के संयुक्त मार्ग निर्देशन में कार्यरत है।
8.	बैठक की आवृत्ति	समिति के कार्यों को सुचारू रूप से सम्पादित करने हेतु आवश्यकतानुसार कार्यकारिणी समिति तथा गर्वनिंग बोर्ड की बैठकें आयोजित की जाती है।
9.	क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है ?	**नहीं (कतिपय मामलों में राय प्राप्त की जा सकती है।)**
10.	क्या बैठक का कार्यवृत्त तैयार किया जाता है ?	**हां, प्रत्येक बैठक का कार्यवत्त तैयार होता है तथा समस्त को जारी किया जाता है।**
11.	क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है ? यदि हाँ तो प्रक्रिया का	**हां, तथा बैठक का कार्यवत्त प्राप्त करने के लिये विषेष कार्य अधिकारी स्कोवा, 107, चन्दर नगर, देहरादून को आवेदन के उपरान्त उपलब्ध कराया जा सकता है।**

1.	लोक प्राधिकारी से संबद्ध संस्था का नाम	**राज्य रेडक्रास सोसायटी**
2.	संबद्ध संस्था का प्रकार	**यह एक विष्व स्तर की स्वतन्त्र समिति**
3.	संबद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय	**स्थापना वर्षः** **कानूनी आधार –** रेडक्रास सोसायटी की स्थापना राज्य स्तर भारतीय रेडक्रास सोसायटी अधिनियम 1920 (जो 1956 के संशोधित अधिनियम 22 तथा स्वीकृत धारा संख्या 4) के नियमों तथा आदेश 1957 एवं 1992 अधिनियम संख्या 14 में की गयी। **न्यायिक आधार –** राज्य शाखा समस्त अधीनस्थ शाखाओं में कार्यवाही को लागू करवाने तथा निरीक्षण करने का कार्य करती है।
4.	संबद्ध संस्था की भूमिका (परामर्शदात्री /प्रबन्ध कारिणी /कार्यकारिणी/ अन्य	**भूमिका : मूल उद्देष्य** राज्य सोसायटी भारतीय रेडक्रास सोसायटी के अन्तर्गत निर्धारित निम्न मूल उद्देश्यों पर कार्य करती हैः– ▪ मानवता – मानवता का सम्मान करते हुए जीवन एवं स्वास्थ्य की रक्षा करना। आपसी समझ, दोस्ती, सहयोग तथा सभी लोगों के बीच शान्ति की स्थापना करना। ▪ निष्पक्षता – यह राष्ट्रीयता, प्रतिस्पर्धा, धर्म, भावनाओं, वर्ग या राजनैतिक विचारधाराओं या मान्यताओं में कोई भेदभाव नहीं करती है।

		▪ तटस्थता – यह किसी भी धर्म, राजनीति तथा क्रान्तियों की विवादो में तटस्थता की नीति को अपनाती है। ▪ स्वतन्त्रता – यह अभियान स्वतन्त्र है। ▪ स्वैच्छिक सेवाएं – यह स्वैच्छिक सहायता समिति है। ▪ एकता – एक देश में मात्र एक ही रेडक्रास समिति होती है जो सभी के लिये खुली है। ▪ सार्वभौमिकता/विश्व व्यापी – विश्व स्तर पर समस्त रेडक्रास समियों का एक की स्तर है तथा एक दूसरे को सहायता करने हेतु समान कार्य तथा कतर्व्य होते है। **भारतीय रेडक्रास सोसायटी का संकेत चिन्ह चित्र में दर्षाया गया है।**
5.	समिति का वर्तमान स्वरूप तथा सदस्य	**यह पंजीकृत संस्था है।** **महामहिम राज्यपाल, महानिदेषक स्वास्थ्य, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला अधिकारी देहरादून।**
6.	मुख्य अधिकारी का नाम की सूची	**महानिदेषक स्वास्थ्य**
7.	मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते	**कोर्ट रोड़,** **पुलिस नियन्त्रण कक्ष के सामने,** **देहरादून – 248 001**
8.	बैठक की आवृत्ति	**वार्षिक**
9.	क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है ?	**नहीं, अपितु समिति में जनता से सदस्यों को लिया जाता है।**
10.	क्या बैठक का कार्यवृत्त तैयार किया जाता है ?	**हां**
11.	क्या जनता बैठक	**हां, पदेन सचिव से कार्यवृत्त प्राप्त किया जा**

	का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है ? यदि हाँ तो प्रक्रिया का विवरण।	**सकता है।**

बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण।

1.	लोक प्राधिकारी से संबद्ध संस्था का नाम	**राज्य एड्स नियन्त्रण सोसायटी**
2.	संबद्ध संस्था का प्रकार	**यह राज्य स्तर की विश्व बैंक सहायतित एक समिति है।**
3.	संबद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय	**स्थापना वर्षः** उत्तरांचल राज्य के अस्तित्व में आने के साथ ही वर्ष 2000 में इसकी स्थापना की गयी थी।
4.	संबद्ध संस्था की भूमिका (परामर्शदात्री / प्रबन्ध कारिणी / कार्यकारिणी / अन्य	**भूमिका : मूल उद्देश्य** ○ जनजागरूकता गतिविधियों का संचालन करना। ○ यौनजनित एवं प्रजनन अंगों में संक्रमण की पहचान, उपचार तथा रेफर करना। ○ वालन्टरी काउन्सिलिंग टेस्टिंग सेन्टर (एच0आई0वी0 / एड्स हेतु स्वैच्छिक परामर्श एवं परीक्षण केन्द्र) के माध्यम से जानकारी / परामर्श एवं जाँच सेवाएं। ○ हाल ही में पारित गरीबी रेखा से नीचे के एड्स रोगियों हेतु व्याधि–निधि का प्रावधान। ○ स्कूल एड्स एजुकेशन कार्यक्रम के द्वारा छात्र–छात्राओं को ज़ागरूक करना। ○ एड्स केस सर्विलेन्स (एड्स रोगियों का पता लगाना व उपचार सुविधा प्रदान कराना)। ○ समय–समय पर एड्स नियन्त्रण हेतु चिकित्सा अधिकारियों / पैरामेडिकल कर्मचारियों / अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान

		करना। ○ स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल ब्लड बैंक (10,000 यूनिट क्षमता + ब्लड कम्पोनेन्ट सेपरेशन सुविधा) – दून चिकित्सालय देहरादून में स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल ब्लड बैंक की स्थापना। ○ तीन रक्त कोषों की स्थापना – बेस चिकित्सालय श्रीनगर में रक्त कोष स्थापित कर क्रियाशील किया जा चुका है। संयुक्त चिकित्सालय रूड़की रक्त कोष हेतु प्रस्तावित है तथा संयुक्त चिकित्सालय कोटद्वार में रक्त कोष निर्माणाधीन है। ○ टेलीकाउन्सिलिंग (टेलीफोन द्वारा परामर्श) की सुविधा उपलब्ध कराना – देहरादून में एन0जी0ओ0 के माध्यम से मुफ्त हेल्पलाईन नम्बर 1097 कार्यशील है। ○ सेन्टीनल सर्विलेन्स कार्यक्रम – इसके अन्तर्गत यौन रोग क्लीनिक, स्त्री रोग क्लीनिक व गर्भवती क्लीनिक में यौन जनित रोगों के लक्षण वाले व्यक्तियों तथा गर्भवती महिलाओं का वी0डी0आर0एल0 (यौन रोग जाँच) परीक्षण के साथ–साथ गोपनीय तौर पर एच0आई0वी0 परीक्षण किया जाता है। ○ **पी0पी0टी0सी0टी0** कार्यक्रम – गर्भवती माँ से बच्चे में एच0आई0वी0 संक्रमण की रोकथाम एवं नियन्त्रण हेतु चिकित्सा अधिकारियों एवं पैरामेडिकल स्टाफ हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करवाना।

स्वरूप एवं वर्तमान सदस्यः परियोजना निदेषक

↓

अपर परियोजना निदेषक (एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम)

↓

कार्यक्रम अधिकारी

↓

कार्यालय

6.	मुख्य अधिकारी का नाम की सूची	परियोजना निदेषक (एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम)
7.	मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते	महानिदेषालय, राज्य एड्स नियन्त्रण समिति, 107, चन्द्रनगर, देहरादून।
8.	बैठक की आवृत्ति	वार्षिक
9.	क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है ?	नहीं
10.	क्या बैठक का कार्यवृत्त तैयार किया जाता है ?	हां
11.	क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है ? यदि हाँ तो प्रक्रिया का विवरण।	नहीं